सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 42/2014

1. जीत सिंह दत्तक पुत्र श्री श्याम कौर धर्मपत्नी स्व. श्री देवाराम जाति बांवरी, निवासी 6 पी.टी.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. कृष्ण पुत्र बहादरराम जाति बांवरी निवासी 6 पी.टी.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. प्रताप पुत्र बहादरराम जाति बांवरी निवासी 6 पी.टी.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. दर्शन पुत्र बहादरराम जाति बांवरी निवासी 6 पी.टी.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
4. मुखत्यार कौर पत्नी श्री नानक सिंह निवासी 6 पी.टी.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. सुखा सिंह पुत्र श्री नानक सिंह निवासी 6 पी.टी.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
6. सुखदेव सिंह पुत्र श्री नानक सिंह निवासी 6 पी.टी.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :
1. श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री रामनिवास बिश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

आदेश **दिनांक :–29.10.2020**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार श्याम कौर पत्नी श्री देवाराम 1/2 हिस्सा 3.162 हैक्टर आराजी वाके चक 6 पी.टी.ए. तहसील रायसिंहनगर के नाम से बतौर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अपीलांट को श्रीमती श्याम कौर ने मरने से काफी समय पूर्व गोद लिया हुआ था परन्तु गोदनामें की तहरीर नहीं हुई थी। इसलिए दिनांक 18.05.1996 को तहरीर हुई जिसका पंजीयन उपपंजीयक रायसिंहनगर में पंजीयन करवाया गया। इसलिए अपीलांट श्याम कौर पत्नी देवाराम की उक्त विवादित आराजी 3.162 हैक्टर रकबा प्राप्त करने का अधिकारी था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा देवाराम द्वारा वसीयत के आधार पर अपीलकृत आदेश दिनांक 29.12.2011 को पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.12.2011 पूर्णत विधि विरूद्व खिलाफ कानून पारित किया गया है। राज्य सरकार के अनुसार श्याम कौर पत्नी श्री देवाराम का आराजी में 1/2 हिस्सा अर्थात 3.162 हैक्टर जमीन है। देवाराम को वसीयत करने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए केवलमात्र

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

देवाराम की वसीयत के आधार पर अपीलकृत आदेश पारित किया गया है जो पूर्णत विधि विरूद्व है। अपीलांट गरीब व्यक्ति है इसलिए अपीलांट को इस आदेश का ज्ञान नहीं हुआ। अपीलांट द्वारा अपने अधिवक्ता से विचार विमार्श करने पर उन्होने राय दी कि अपीलांट की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर आओं इस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 27.06.2014 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की इसलिए अपीलांट को सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 27.06.2014 से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत कर रहा है। अपीलांट द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जिसमें वसीयत का आदेश का उल्लेख किया गया था और प्रमाणित प्रतिलिपि में श्याम कौर पत्नी देवाराम का 1/2 हिस्सा हैं। देवाराम द्वारा की गई वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्टान के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में जो इन्तकाल दर्ज किया गया वह भी पूर्णत विधि विरूद्व है। इन्तकाल वसीयत के आधार पर दर्ज किया गया है इसलिए अपीलकृत आदेश के आधार पर जो राजस्व रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। उसे निरस्त फरमाया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.12.2011 अपास्त कियाजावें और इस आदेश की पालना में इन्तकाल संख्या 0081946 जो दिनांक 18.05.2012 को तस्दीक किया गया है उसे निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 29.12.2011 पूर्णत विधि विरूद्व खिलाफ कानून पारित किया गया है। श्याम कौर पत्नी श्री देवाराम का आराजी में 1/2 हिस्सा अर्थात 3.162 हैक्टर जमीन है। देवाराम को वसीयत करने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए केवलमात्र देवाराम की वसीयत के आधार पर अपीलकृत आदेश पारित किया गया है जो पूर्णत विधि विरूद्व है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार श्याम कौर पत्नी श्री देवाराम 1/2 हिस्सा 3.162 हैक्टर आराजी वाके चक 6 पी.टी.ए. तहसील रायसिंहनगर के नाम से बतौर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अपीलांट को श्रीमती श्याम कौर ने मरने से पूर्व से काफी समय पूर्व गोद लिया हुआ था परन्तु गोदनामें की तहरीर नहीं हुई थी। इसलिए दिनांक 18.05.1996 को तहरीर हुई जिसका पंजीकृत उपपंजीयन रायसिंहनगर में पंजीयन करवाया गया । इसलिए अपीलांट श्याम कौर पत्नी देवाराम की उक्त विवादित आराजी 3.162 हैक्टर रकबा प्राप्त करने का अधिकारी था। देवाराम द्वारा की गई वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्टान के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में जो इन्तकाल दर्ज किया गया वह भी पूर्णत विधि विरूद्व है। इन्तकाल वसीयत के आधार पर दर्ज किया गया है। उसे निरस्त फरमाया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.12.2011 अपास्त किया जावें और इस आदेश की पालना में इन्तकाल संख्या 0081946 जो दिनांक 18.05.2012 को तस्दीक किया गया है उसे निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 28.06.2007 को प्रकरण इन्तकाल संख्या 64/20.06.2006 निरस्त करते हुये रिमाण्ड किया गया। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के निर्णय की अपील सम्भागीय आयुक्त बीकानेर पेश की गई। जिसे सम्भागीय आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 19.05.2010 को अपील खारिज की गई। जिस पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.12.2011 द्वारा ईन्तकाल नियमानुसार मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस सप्रमाण पत्र प्राप्त कर उसके आधार पर इन्तकाल खोले जाने का आदेश पारित किया गया। श्रीमान न्यायालय को उक्त अपील सुनने का

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्षैत्राधिकार भी नहीं है। क्योंकि उक्त इन्तकाल सम्भागीय आयुक्त बीकानेर के निर्णय पर रिमाण्ड होने पर दोनो पक्षों को सुनकर इन्तकाल पारित करने का आदेश था। जिसकी अपील 135 (2) के तहत सुनने का क्षेत्राधिकार सम्भागीय आयुक्त महोदय बीकानेर को है। गोदनाम सही है या गलत उसे सुनने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा निम्न नजीरे पेश की गई।

1.आर.आर.टी 2016(1) पेज–726–728

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से पाया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2011 को तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा पारित किया गया है। माननीय सम्भागीय आयुक्त महोदय, बीकानेर ने अपने निर्णय दिनांक 19.05.2010 द्वारा उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 28..06.2007 को खारिज कर प्रकरण पुनः नये सिरे से विधिसम्मत् निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया था। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनो पक्षो को सुनकर अपीलाधीन इन्तकाल स्वीकृत किया है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश के विवादित हो जाने के कारण अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार धारा 135(2) के अन्तर्गत इस न्यायालय को नहीं है।

इस प्रकार, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रायसिंहनगर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश आक्षेप के संदर्भ में दोनों पक्षों को सुनकर पारित किया गया है जो धारा 135(2) राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम की परिधि में होने से हस्तगत अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मा0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर को है। अतः हस्तगत अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न होने से अपीलार्थी को लौटाई जाती है। आदेश की प्रति पालनार्थ सम्बन्धित तहसीलदार रायसिंहनगर को भिजवाई जावें एवं रिकार्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 29.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. गंजन सोनी)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner